Right To Education

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांकः प.21(19)शिक्षा-1/प्राशि./2009 जयपुर, दिनांक मार्च 29, 2011

आयुक्त,
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
बीकानेर

विषयः- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित सभी गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा "दुर्बल वर्ग" और "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों को प्रवेश देने के संबंध में।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) संपूर्ण देश में दिनांक 01 अप्रेल 2010 से प्रभावशील हो गया है। इस अधिनियम के प्रावधान राज्य में स्थित सभी गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर लागू होते हैं, चाहे वह अनुदानित हों अथवा गैर-अनुदानित, तथा चाहे वह केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हों या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हों अथवा अन्य किसी बोर्ड/संस्था से संबद्ध हों।

उक्त अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित सभी गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, चाहे वह अनुदानित हों या गैर-अनुदानित हों, के लिए यह बाध्यकारी है कि कक्षा 1 में अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा में, जैसी भी स्थिति हो, दाखिल किये जाने वाले बालकों की कुल संख्या की कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक "दुर्बल वर्ग" और "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों को प्रवेश देंगे। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार ने दिनांक 29/03/2011 को दो अलग-अलग अधिसूचनायें जारी करके "दुर्बल वर्ग" और "असुविधाग्रस्त समूह" को परिभाषित कर दिया है। दोनों अधिसूचनाओं की प्रतिलिपियां सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न हैं।

अब सभी गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए यह बाध्यकारी है कि वह कक्षा 1 में अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा में, जैसी भी स्थिति हो,

दाखिल किये जाने वाले बालकों की कुल संख्या की कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक "दुर्बल वर्ग" और "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों को प्रवेश दें।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय उक्त प्रावधान के अनुसार "दुर्बल वर्ग" और "असुविधाग्रस्त समूह" के जिन बालकों को प्रवेश देंगे उनसे कोई भी शुल्क नहीं वसूलेंगे। गैर-अनुदानित विद्यालयों द्वारा इन वर्गों के जिन बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा उनके लिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें राशि का पुर्नभरण किया जायेगा, जो कि सम्बन्धित विद्यालय द्वारा बालकों से प्रभारित वास्तविक रकम या राज्य सरकार द्वारा राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति बालक व्यय, जो भी कम हो, की सीमा तक किया जायेगा।

आपके अधीनस्थ सभी संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त स्थिति स्पष्ट करते हुए निर्देशित करें कि उक्त प्रावधानों का अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें तथा उक्त प्रावधानों की अनुपालना कड़ाई से सुनिश्चित करायें।

29/03/2011

(अशोक सम्पतराम)
प्रमुख शासन सचिव

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कमांक—शिविरा/प्रारं/निशुअशि/3515/वौ–3/11 दिनांक–30.03.11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1.प्रमुख शासन सचिव,स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा,राज0,जयपुर।
2.आयुक्त,सर्व शिक्षा अभियान,जयपुर।
3.आयुक्त,माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय,राजस्थान,बीकानेर।
3.समस्त उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि असुविधाग्रस्त एवं दुर्बल बच्चों हेतु दो अलग–2 जारी अधिसूचना दिनांक 29.3.11 की छाया प्रतियां संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ निजी शिक्षण संस्था के प्रधानों एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को उक्त निर्देशों की पालना हेतु निर्देशित करें।

संलग्नःउपरोक्तानुसार

5. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

अतिरित निदेशक(शैक्षिक)
प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर।

भगीना
21.2.21.100

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक),झुंझुनूं

(Email id deosecondaryjjn@gmail.com , Phone No. 01592232716)

कार्यालय– आदेश

श्रीमान व.शासन उप सचिव,स्कूल शिक्षा(ग्रुप–5) विभाग सचिवालय जयपुर के पत्रांक प. 12(6) शिक्षा –5 /आरटीई/2014 जयपुर दिनांक 13.08.2015 व श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/ आरटीई/एफ.4/2015/103 दिनांक 21.08.2015 व विडियो कॉन्फ्रेन्स दिनांक 27.08.2015 की अनुपालना में सत्र 2012–13,2013–14,2014–15 व 2015–16 में आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीटो पर प्रवेशित बालको के सत्यापन हेतु निम्नांकित सत्यापन दलो को सत्यापन हेतु निर्देश दिये जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि ब्लॉक सूरजगढ़ निजी माध्यमिक / उच्च माध्यमिक छात्र/छात्रा विद्यालयों में प्रविष्ठ दुर्बल वर्ग एंव असुविधाग्रस्त प्रवेशित बालको का सत्यापन किया जाना हैं। सत्यापन हेतु छात्र/छात्राओं की सूची तथा सत्यापन प्रतिवेदन संबंधित संस्था प्रधान द्वारा दो प्रतियों में सत्यापन दल को उपलब्ध करवाया जायेगा। सत्यापन दल सावधानीपूर्वक प्रपत्र भरकर अपना स्पष्ट अभिमत अंकित करते हुए सत्यापन करने के दिन ही प्रतिवेदन की एक प्रति संस्था से प्राप्ति रसीद लेकर उपलब्ध करवायेगें तथा दुसरी प्रति अगले दिन इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगें। सत्यापन दल में अध्यक्ष प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक तथा सहयोग हेतु सदस्य अपने विद्यालय का व्याख्याता/व.अ. स्वविवेक से नियुक्त कर भौतिक सत्यापन हेतु पाबन्द करेगें। प्रशिक्षण दिनांक 17.09.2015 को प्रातः 10:00 बजे इस कार्यालय के कमरा नम्बर 09 में होगा।

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदस्थापन स्थान	भौतिक सत्यापन किया जाना है उन विद्यालयों की सूची
1	श्री महावीर प्रसाद मीणा	राउमावि भगीना	सूची संलग्न हैं।
2	श्री अन्तरसिंह राव	राउमावि काजड़ा	सूची संलग्न हैं।
3	श्री कुलदीपसिंह	राउमावि डी.के.बास	सूची संलग्न हैं।
4	श्री मोहनलाल सुहाग	राउमावि देवरोड़	सूची संलग्न हैं।
5	श्री देवकरण भडीया	रामावि सुरजगढ मण्डी	सूची संलग्न हैं।
6	श्री मदनमोहन	राउमावि जाखोद	सूची संलग्न हैं।
7	श्री सत्यवीरसिंह	राउमावि छापड़ा	सूची संलग्न हैं।
8	श्री दयाराम	राउमावि भावठडी	सूची संलग्न हैं।
9	श्री जगदीश प्रसाद	राउमावि महपालवास	सूची संलग्न हैं।
10	श्री ओमप्रकाश	राउमावि पिपली	सूची संलग्न हैं।
11	श्री नन्दलाल लमोरिया	रामावि अडूका	सूची संलग्न हैं।
12	श्री वेदप्रकाश	रामावि बास बिजोली	सूची संलग्न हैं।

(इजहार अहमद खान)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक),झुंझुनूं
दिनांक :– 15.09.2015

क्रमांक :– जिशिअ/मा/झुं/शै.प्र./आरटीई/2015/
प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
2. „ उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा चूरू
3. संबंधित संस्था प्रधान...
4. कार्यालय प्रति।

(इजहार अहमद खान)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक),झुंझुनूं

राउमावि भगीना

1	C.L.R. PUB. SCH. PILANI	9414083140 / 01596-517500	loharu road pilani	NP PILANI WARD NO. 14	First		15 मई 2015 11:48
2	CEERI VIDYA MANDIR PILANI	8290638839 / 01596-242390	CEERI CAMPUS WARD NO. 2 VIDYA VIHAR PILANI	NP V.V.PILANI WARD NO. 2	Prep, UKG	13	10 सितम्बर 2015 07:55
3	CHANDA BAL NIKETAN SR. SEC. SCH. PILANI	9784357508 / 01596-242102	F-40 INDUSTRIAL AREA NP. V.V.WARD NO.15 PILANI	NP V.V.PILANI WARD NO. 15	First		28 जुलाई 2015 09:22
4	DURGA DEVI PUB PILANI W-13	9309276522 / 01596-244858	NEAR SHRI GANESH TEMPLE, LOHARU ROAD, PILANI	NP PILANI WARD NO. 13	First	37	14 सितम्बर 2015 09:52
5	GOUTAM PUB W-13 PILANI	9785139701 / 01596-245977	NEAR WATER WORKS PILANI	NP PILANI WARD NO. 13	First	5	17 जुलाई 2015 09:58
6	GOYANKA VIDYA MANDIR SEC.SCH. PILANI	9460735622 / 01596-242377	GOENKA VIDYA MANDIR SEC. SCHOOL PILANI	NP V.V.PILANI WARD NO. 14	First		15 जनवरी 2015 11:56
7	HARI DEVI JHUTHA RAM SHISHU SADAN PILANI	7725911812 / 01596-242184	CHIRAWA ROAD , PILANI , DIST.- JHUNJHUNU	NP V.V.PILANI WARD NO. 12	LKG		10 अप्रैल 2015 09:26
8	HIND PUB. SR. SEC.SCHOOL W-25 PILANI	9887215107 / -	WARD NO - 25	NP PILANI WARD NO. 19	First	6	12 सितम्बर 2015 10:17

(इजहार अहमद खान)

जिला शिक्षा अधिकारी

(माध्यमिक),झुंझुनूं

96023727